संख्या– 177/XVIII(II)/2018–18(69)/2017

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 15 मार्च, 2018

विषयः–जनपद, नैनीताल के ल्वार डोबा–गौनियारौ (पाटीकन धार) क्षेत्र में बी0एस0एन0एल0 के पक्ष में मोबाईल सेवा हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–284/12–जेड0ए0सी0–2017–18, दिनांक 10 नवम्बर,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद, नैनीताल के ल्वार डोबा–गौनियारौ (पाटीकन धार) क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नॉन ज्येड0ए0 खाता खतौनी संख्या–4 के खसरा नं0–753 मध्ये 20X15=300 वर्ग मीटर निःशुल्क अथवा या इसके किराये के आधार पर 90 वर्ष हेतु लीज नवीनीकरण की शर्त अथवा निर्धारित दर पर दिये जाने कॉ प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया है।

2– इस विषय में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0एस0एन0एल0 भारत सरकार को नॉन ज्येड0ए0 खाता खतौनी संख्या–4 के खसरा नं0–753 मध्ये 20X15=300 वर्ग मीटर (0.030 है0) भूमि को शासनादेश कमशः शासनादेश सं0–258/16(1)/73– राजस्व–1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/9–1–1(60)/ 93–280–रा0–1, दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016– 18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत जनपद, नैनीताल के ल्वार डोबा–गौनियारौ (पाटीकन धार) क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य की 02 गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर एक मुश्त नजराना तथा नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही अधिकतम 30 वर्षे के लिए नवीनीकरण की शर्त के साथ भूमि पट्टे पर दिए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

....2

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(9) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(10) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है.।

(11) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राज्य सरकार/राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

...3

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(हरबंस सिंह चुघ)**
**प्रभारी सचिव।**

**संख्या– 177/XVIII(II)/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. उपमहाप्रबन्धक, कार्यालय महाप्रबन्धक, दूरसंचार जिला, नैनीताल मुख्यालय, हल्द्वानी।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(बी0एम0 मिश्रा)**
**अपर सचिव।**